

पेंशन और पारिवारिक पेंशन पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन प्रपत्र

(01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनधारियों के प्रयोग हेतु)

पत्रांक :-

दिनांक :-

प्रेषक :-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार,
वीर चन्द पटेल पथ, पटना -800001.

विषय :- श्री/श्रीमती (सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम) धारक पी0पी0ओ0
संख्या- के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनर्निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या- 755 दिनांक 20.10.2017 के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण कर संशोधित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा रही है :-

1. पी0पी0ओ0 संख्या :-
2. सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम :-
3. पदनाम :-

4. अंतिम पदस्थापन कार्यालय :-
- 5.

जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	से0नि0 तिथि	मृत्यु की तिथि

6. शुद्ध अर्हक सेवा :-
7. पारिवारिक पेंशनर का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति के समय
 - (i) अंतिम वेतन :-
 - (ii) वेतनमान/पे बैंड/ग्रेड पे :-
 - (iii) अंतिम मूल पेंशन :-
 - (iv) अंतिम मूल पारिवारिक पेंशन का
 - (क) वृद्धित दर :-
 - (ख) सामान्य दर :-
09. 01.01.2016 को वैचारिक वेतन
 - (i) अंतिम वैचारिक वेतन :-
 - (ii) वेतनमान का लेवल :-
10. कोषागार का नाम :-
11. वर्तमान पता :-
12. आधार संख्या :-
13. मोबाईल संख्या :-
14. बैंक विवरणी
 - (i) बैंक का नाम :-
 - (ii) बैंक खाता संख्या :-
 - (iii) आई.एफ.एस.सी.कोड :-

अनु0-(i) अंतिम वेतन व वेतनमान संबंधी उपलब्ध साक्ष्य।

(ii) पी0पी0ओ0 बुक की छायाप्रति।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशन का हस्ताक्षर नियंत्रि पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदा0 का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- (1) वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन-पूर्जा महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार कार्यालय से निर्गत होता था, वे अपना आवेदन पी0पी0ओ0 बुक का पेंशनर प्रति का छायाप्रति एवं वेतन-पूर्जा की छायाप्रति/ऑडिट संख्या के साथ सीधे महालेखाकार(ले0 एवं हक0) बिहार कार्यालय को देगें ।

(2) वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन-पूर्जा वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना कार्यालय से निर्गत होता था, वे अपना आवेदन उपरोक्त वांछित सूचनाओं के साथ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना कार्यालय के माध्यम से महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार कार्यालय को भेजवाएँ।